हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी-अनुभाग)

सं0:एस0जे0ई0-बी0-एफ0(4)-3/2019 दिनांक शिमला-2 17 मई, 2021.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस0जे0ई0-बी0-सी0(1)-2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम-3, नियम-4 तथा नियम-6 में निम्नलिखित संशोधन करतें हैं:-

नियम-3. परिभाषाएं:

(13) **"स्वर्ण जयन्ती नारी सम्बल योजना"** से तात्पर्य वृद्धावस्था पैंशन योजना के अंतर्गत 65 (पैंसठ) वर्ष से 69 (उनहत्तर) वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को दी जाने वाली पैंशन।

नियम-4. पात्रता:

वृद्धावस्था पैंशन योजना के अंतर्गत 65 (पैंसठ) वर्ष से 69 (उनहत्तर) वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना किसी आय सीमा की शर्त के 1000/- रुपये प्रति माह की दर से अथवा समय-समय पर जो सरकार द्वारा पैंशन दरें निर्धारित की जाएंगी के अनुसार **स्वर्ण जयन्ती नारी सम्बल योजना** की सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जाएगी।

नियम-6. अपात्रता:

उप नियम (5):
(5) सरकारी सेवा की पैंशन ले रहे वृद्ध दम्पति अथवा आयकरदाता वृद्ध दम्पति बिना किसी आय सीमा की शर्त के दी जाने वाली वृद्धावस्था पैंशन प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। वृद्धावस्था पैंशन का लाभ केवल उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनमें दम्पति में से किसी को सरकारी सेवा की पैंशन न मिल रही हों अथवा दम्पति में से कोई आयकरदाता न हो ताकि सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना का लाभ जरूरतमंदो को मिल सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः :एस0जे0ई0-बी0-एफ0(4)-3/2019 दिनांक शिमला-2 17 मई, 2021.
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला-3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले, हि0 प्र0, शिमला-9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, हिमलैंड, शिमला-171001
8. उप सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री, हि0प्र0, शिमला-2
10. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
11. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री,हिमाचल प्रदेश शिमला-171005 ।

उप सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।